HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1170/2024

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.638/2024

Manpal S/o Shiv Kumar, Aged About 25 Years, R/o Purdinagar, Mohalla Lantagate, P.s. Purdingar, District Hathras (U.p) (Presently Confined In Dsitrict Jail Alwar, Dist. Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam Sharma with Mr. Harshit Parashar
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

18/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **मानपाल** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, क्रम संख्या–3, अलवर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**53/2023, सरकार बनाम मानपाल** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **23.02.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को इस प्रकरण में 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, विचारण के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में एवं कुछ समय जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 23.02.2024 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि करीब ढाई–तीन वर्ष की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि पीड़िता स्वयं के कथनों में तात्विक विरोधाभास है, अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान प्रदर्श डी–1 अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 दिनांक 27.02.2023 को, तथा उसके बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श पी–3 दिनांक 27.02.2023 को लेखबद्ध हुए हैं, प्रदर्श पी–3 में पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मानपाल ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। तत्पश्चात् पीड़िता ने विचारण के दौरान पी0ड01 के रूप में लेखबद्ध बयानों में मानपाल के विरूद्ध आक्षेप लगाए हैं, इस प्रकार पीड़िता द्वारा अलग–अलग समय में अलग–अलग बयान दिए हैं तथा पीड़िता के बयानों का समर्थन अन्य किसी साक्षी द्वारा नहीं किया गया है, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है, विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों–वितर्कों पर विचार किया तथा अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य का अवलोकन किया, मुख्य रूप से पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी–3, पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा

161 द0प्र0सं0 प्रदर्श डी–1 एवं विचारण के दौरान लेखबद्ध पीड़िता पी0डब्ल्यू–1 के बयानों एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः पीड़िता के उक्त तीनों बयानों की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **18.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मानपाल पुत्र श्री शिव कुमार** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /38